



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनीरत्न कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)

केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर -335702

जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

मुख्यालय: बीज भवन पूसा परिसर नई दिल्ली 110012

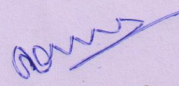
प्रत्रांक: के.रा.फा/जैत/10-14/कृषि/2014-15/

दिनांक 20.7.2014

निविदा सूचना

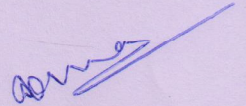
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर, जिला श्रीगंगानगर (राज) के विभिन्न चको में खड़े जुलीफलोरा व अवांछनीय पौधे व झाड़ियों को जमीनी स्तह से खोद कर तथा आवश्यक निर्देशों के अनुसार ही खड़े पेड़ों के छंगाई कर, कुत्तर कर तौल के आधार पर ले जाने के लिए सीलबन्द निविदायें चकवार आमंत्रित की जाती है। सीलबन्द निविदायें दिनांक 13.8.2014 को सायं 3.00 बजे तक प्राप्त की जा सकेंगी जो कि उसी दिन उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष 4.00 बजे खोली जायेगी। निविदा में भाग लेने के लिए रुपये 10,000.00 (रु दस हजार मात्र) का बैंक डिमान्ड-ड्राफ्ट जो कि नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, जैतसर के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक, बाजूवाला (IFSC कोड नम्बर SBIN0008251) पर देय हो, धरोहर राशि के रूप में प्रत्येक चक हेतु निविदा के साथ जमा/संलग्न करना होगा। निविदा संबंधी जानकारी तथा नियम एवम् शर्तें किसी भी कार्यदिवस में सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक ली जा सकती है व निगम की वेबसाइट www.Indiaseeds.com पर भी देखी जा सकती है। पहचान पत्र व अखरे रुपये 100.00 नकद जमा कर, निविदा प्रपत्र कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

नोट:- दिनांक 13.8.2014 को दरें स्वीकृत नहीं होने पर अन्य वैकल्पिक तिथि दिनांक 21.8.2014 होगी जिसके लिए अलग से सूचना जारी नहीं की जायेगी।


प्रबन्धक (उत्पादन)
कृते निदेशक

जुलीफलोरा (विलायती बबूल), अवाछनिय पौधे व झाड़ियों को जमीनी स्तह से खोद कर तथा आवश्यक निर्देशों के अनुसार ही खडे पेड़ों की छंगाई कर, कुत्तर कर तौल के आधार पर ले जाने के हेतु नियम व शर्तें

- निविदादाता को निविदा में भाग लेने से पूर्व प्रत्येक चक के लिए धरोहर राशि के रूप में अखरे रुपये 10000/- का डिमान्ड ड्राफ्ट फार्म खजांची के पास जमा/सलग्न करवाना होगा। जिसे कार्य के संतोषजनक ढंग से पूरा होने पर बिना ब्याज के लौटा दिया जायेगा तथा असफल निविदादाता की राशि चैक द्वारा लौटा दी जायेगी। जुली फलोरा पौधों एवम् झाड़ियों एवं अन्य अवाछनिय पौधे झाड़ियों जहाँ है जैसा है जमीनी स्तह से खोद कर, काटना होगा। तथा आवश्यक निर्देशों के अनुसार ही अनावश्यक पेड़ों की छंगाई कार्य के उपरान्त थिन वेस्ट मेटिरियल को कुत्तर कर तौल के आधार पर कीमत जमा कर ले जाना होगा।
- ठेका स्वीकृत होने पर जुली फलोरा पौधों एवम् झाड़ियों एवं अन्य अवाछनिय पौधे झाड़ियों जहाँ है जैसा है जमीनी स्तह से खोद कर कार्य तथा खडे पेड़ों की जड़ों को उखाड़ने व छंगाई किये जाने वाले पेड़ों को सम्बंधित चक प्रभारी द्वारा चिन्हित जगह से शुरू करना होगा। जिस चक में कार्य आरम्भ करवाया गया है उस चक का कार्य पूरा होने पर ही दूसरे चक में निदेशानुसार कार्य आरम्भ करना होगा।
- आवटित कार्यों को ठेकेदार अपनी मन-मर्जी से कार्य न करके चक प्रभारी/खण्ड प्रभारी के दिशा निर्देशानुसार कार्य करेगा। तथा निदेशित चक में ही कार्य करेगा।
- उपरोक्त कार्यों को कार्य करने का समय सुबह 8-00 बजे से शाम 5-00 बजे तक ही रहेगा।
- तुलाई कार्य शाम 4-30 बजे से पूर्व कराना होगा।
- तौल की गई जुलीफलोरा की कुत्तर, वेस्ट मेटिरियल को तुरन्त ही फार्म क्षेत्र से तुरन्त बाहर करना होगा।
- ठेकेदार को जो खण्ड/चक आवंटित किया जायेगा वह दूसरे ठेकेदार को कार्य सबलेट नहीं करेगा तथा उस कार्य क्षेत्र में वह संदिग्ध व्यक्तियों को नहीं रखेगा। उक्त कार्य पर लगाये जाने वाले प्रतिनिधीं जिसको वह कार्य करने के लिए अधिकृत करता है उसके हस्ताक्षर मय फोटो अखरे दस रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से तस्दीक करवा कर उसकी मूल प्रति देगा तथा छाया प्रति कार्य स्थल पर दिखायेगा। जोकि वह फार्म पर कार्य के दौरान अपने पास अवश्य रखेगा। उसी अनुसार उन्हें कार्य टोकन जारी किया जायेगा यदि ठेकेदार या उसके कामगार आवंटित क्षेत्र के अलावा फार्म परिसर में खडे शीशम, कीकर व अन्य प्रजातियों के पेड़ पौधों को काटते एवं ले जाते हुए पाये जाते हैं तो ठेकेदार द्वारा जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी उस पर जुर्माना भी वसूल किया जायेगा, ठेका रद्द भी कर दिया जायेगा तथा ठेकेदार के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के साथ-2 उसका नाम काली सूची में भी दर्ज कर दिया जायेगा।
- ठेकेदार को लगभग 100-200 कुन्टल लकड़ी हेतु रिलीज ऑर्डर अग्रिम रूप से लेना होगा।
- ठेकेदार को प्रति दिन कम से कम 50.00 से 100.00 कुन्टल कुत्तर को तौलकर ले जाना जरूरी होगा।
- ठेकेदार द्वारा यदि कार्य संतोषजनक ढंग से नहीं किया जाता है अथवा वह नियम एवम् शर्तों का पालन नहीं करता है तो उसका ठेका तुरन्त प्रभाव से रद्द कर दिया जायेगा तथा जमा धरोहर राशि भी जब्त कर उसका नाम काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा।
- कुत्तर मेटिरियल भरने से पूर्व ठेकेदार को सुरक्षा विभाग से टोकन लेना आवश्यक होगा तथा वह टोकन वापस सुरक्षा विभाग को जमा कराना होगा।
- यह कार्य 31.3.2015 तक के लिए है, इसको आवश्यकतानुसार घटाया बढ़ाया भी जा सकता है।
- ठेकेदार फार्म क्षेत्र में पशु नहीं रखेगा।
- कार्य स्वीकृति के बाद ठेकेदार एक सौ रुपये के स्टाम्प पेपर पर सभी शर्तों को वर्णित कर अपने हस्ताक्षर कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगा, जिसमें यह भी लिखेगा कि उसे शर्तें मान्य हैं तथा इसी के अनुरूप कार्य करेगा। ठेकेदार से स्टाम्प पेपर प्राप्त होने के बाद ही रिलीजऑर्डर जारी किया जायेगा।
- यदि उपरोक्त अनुबंध/ करार के किसी उपबंध से कोई विवाद पक्षकारान के मध्य उत्पन्न होता है तो उस दशा में प्रकरण निगम के अध्यक्ष-सह-निदेशक को संदर्भित किया जाएगा, जिनको यह अधिकार होगा कि वह स्वयं अथवा अपने द्वारा नामित एकल विवेचक (सोल आर्बिट्रेटर) के द्वारा विवाद का निपटॉन आर्बिट्रेशन एण्ड कानसिलिएशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत कराए/ पक्ष कार्य स्वीकृति के बाद ठेकेदार पचास रुपये के स्टाम्प पेपर पर सभी शर्तों को वर्णित कर अपने हस्ताक्षर कर इस कार्यालय में। कारान पर यह बाध्यकारी होगा कि उक्त दशा में न्यायालय जाने से पहले आर्बिट्रेशन द्वारा अपने विवादों का समाधान करें।
- पेन नम्बर निविदा देने से पूर्व देना होगा।
- आर्बिट्रेशन एण्ड कानसिलिएशन के उपरांत भी यदि कोई विवाद होता है तो उसका न्याय क्षेत्राधिकार फार्म की परिधि से सम्बंधित होगा।



प्रबन्धक(उत्पादन)
कृते प्रभारी निदेशक